

प्रेस विज्ञप्ति
07.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (टीडीआई समूह) और अन्य की 45.49 करोड़ रुपये की संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में क्लब, खाली जमीन और बैंक खाते शामिल हैं।

ईडी ने रियल एस्टेट कंपनी मेसर्स टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, संबद्ध संस्थाओं, इसके निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत ईओडब्ल्यू, दिल्ली आदि विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि उन्होंने फ्लैट/प्लॉट/वाणिज्यिक स्थान आदि की डिलीवरी का वादा करके निर्दोष खरीदारों को धोखा दिया था, हालांकि, उन्होंने न तो प्रोजेक्ट डिलीवर किए और न ही खरीदारों के पैसे वापस किए। ईडी की जांच से यह भी पता चला कि कंपनी के निदेशकों ने कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर खरीदारों से एकत्र किए गए पैसे को हड़प लिया और इसका इस्तेमाल इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने संबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों को ऋण और अग्रिम राशि दी। खरीदारों का पैसा अन्य कंपनियों में भी लगाया गया है, जिनकी पहचान जांच के दौरान की गई। अभी तक, मामले में पहचानी गई कुल अपराध आय (पीओसी) 165.69 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है।